न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: सतीश कुमार, R.T.S.
मिसल नं. ::: 07 / 2021

सरकार बनाम सुनिता पत्नि विनोद कुमार, जाति– धाणक, निवासी– जीणी

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 19.07.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायला बावजूद सूचना अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल विनोद पुत्र महेश्वर, जाति–धाणक, निवासी–जीणी द्वारा रोही मौजा जीणी की राजकीय भूमि ख.नं. 458 / 172 रकबा 11.59 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.01 है0 भूमि पर एक ढ़ारा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तामील कुनिन्दा गैर सायल विदेश रहना बताया गया। इस पर पटवारी हल्का जीणी से मौक पर वर्तमान अतिक्रमी के संबंध में रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 31.03.2021 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल विनोद पुत्र महेश्वर, जाति–धाणक, निवासी–जीणी आजिविका हेतु विदेश गया हुआ है। विनोद के स्थान पर उसकी पत्नि सुनिता को अतिक्रमी माना जाये। इस रिपोर्ट के आधार पर पत्रावली पर नाम संशोधित कर नोटिस सुनिता पत्नि विनोद कुमार, जाति–धाणक, निवासी–जीणी के नाम से जारी किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तामील कुनिन्दा गैर सायला ने नोटिस लेने से इन्कार किया, नोटिस की एक प्रति खुले मकान पर चस्पानगी कर तामील करवाई गई। गैर सायला बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः गैर सायला के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536 / 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन / नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य **CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010)** निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन हेतु प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायला को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

क्र० सं० ... 13 ... पर वर्ष 2021-22 में रूपये ...5/... कायम किए
राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)
तहसीलदार, सूरजगढ़